भारत के राजपत्र, असाधारण- भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली : 16 जून, 2025

एफ. सं. आरजी-(6)/2024-एफईए-II ---- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात:

दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025
(2025 का 01)

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ**
   (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
   (2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश,1999 की अनुसूची VI में मद संख्या (3) के पश्चात् निम्नलिखित मद (3ए) और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्: -

मद	टैरिफ
(3ए) पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु टैरिफ	पीएम-वाणी योजना के तहत रिटेल फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सेवा प्रदाता पीडीओ को 200 एमबीपीएस तक के अपने सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान प्रदान करेगा, जिसका टैरिफ, बैंडविड्थ (क्षमता) के अनुरूप एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान के लिए रिटेल ग्राहकों के लिए लागू टैरिफ के दुगुने से अधिक नहीं होगा।

(डी. मनोज)
प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

नोट 1: - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 09 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

संशोधन क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक
पहला	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.03.1999
दूसरा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 31.05.1999
तीसरा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 31.05.1999
चौथा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 28.07.1999
पांचवां	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 17.09.1999
छठा	301-4/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.09.1999
सातवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.03.2000
आठवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 31.07.2000
नौवां	301-8/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 28.08.2000
दसवां	306-1/99-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 09.11.2000
ग्यारहवां	310-1(5)/भादूविप्रा-2000 दिनांक 25.01.2001
बारहवां	301-9/2000-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 25.01.2001
तेरहवां	303-4/ भादूविप्रा-2001 दिनांक 01.05.2001
चौदहवां	306-2/भादूविप्रा-2001 दिनांक 24.05.2001
पंद्रहवां	310-1(5)/ भादूविप्रा-2000 दिनांक 20.07.2001
सोलहवां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 14.08.2001
सत्रहवां	301/2/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 22.01.2002
अठारहवां	303/3/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 30.01.2002
उन्नीसवां	303/3/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 28.02.2002
बीसवां	312-7/2001-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 14.03.2002
इक्कीसवां	301-6/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 13.06.2002
बाईसवां	312-5/2002- भादूविप्रा(इको) दिनांक 04.07.2002
तेईसवां	303/8/2002-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 06.09.2002
चौबीसवां	306-2/2003- इकॉन दिनांक 24.01.2003
पच्चीसवां	306-2/2003- इकॉन दिनांक 12.03.2003
छब्बीसवां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 27.03.2003
सत्ताईसवां	303/6/2003-भादूविप्रा(इकॉन) दिनांक 25.04.2003
अट्ठाईसवां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 05.11.2003
उनतीसवां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 03.12.2003
तीसवां	301-4/2004(इकॉन) दिनांक 16.01.2004
इकतीसवां	301-2/2004-इको दिनांक 07.07.2004
बत्तीसवां	301-37/2004-इको दिनांक 07.10.2004
तैंतीसवां	301-31/2004- इको दिनांक 08.12.2004
चौंतीसवां	310-3(1)/2003- इको दिनांक 11.03.2005
पैंतीसवां	310-3(1)/2003- इको दिनांक 31.03.2005

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

छत्तीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 21.04.2005
सैंतीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 02.05.2005
अड़तीसवां	312-7/2003-इको दिनांक 02.06.2005
उनतालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 08.09.2005
चालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.09.2005
इकतालीसवां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
बयालीसवां	301-34/2005-इको दिनांक 07.03.2006
तैंतालीसवां	301-2/2006-इको दिनांक 21.03.2006
चवालीसवां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
पैंतालीसवां	301-18/2007-इको दिनांक 05.06.2007
छियालीसवां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
सैंतालीसवां	301-14/2008-इको दिनांक 17.03.2008
अड़तालीसवां	301-31/2007-इको दिनांक 01.09.2008
उनचासवां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
पचासवां	301-24/2012- ईआर दिनांक 19.04.2012
इक्यावनवां	301-26/2011- ईआर दिनांक 20.04.2012
बावनवां	301-41/2012-एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
तिरपनवां	301-39/2012-एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
चौवनवां	301-59/2012-एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
पचपनवां	301-10/2012-एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
छप्पनवां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
सत्तावनवां	312-2/2013-एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
अट्ठावनवां	312-2/2013-एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014
उनसठवां	310-5 (2)/2013-एफएण्डईए दिनांक 21.11.2014
साठवां	301-16/2014-एफएण्डईए दिनांक 09.04.2015
इकसठवां	301-30/2016-एफएण्डईए दिनांक 22.11.2016
बासठवां	301-30/2016-एफएण्डईए दिनांक 27.12.2016
तिरसठवां	312-1/2017-एफएण्डईए दिनांक 16.02.2018
चौंसठवां	301-20/2018-एफएण्डईए दिनांक 24.09.2018
पैंसठवां	301-03/2020-एफएण्डईए दिनांक 03.06.2020
छियासठवां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
सत्तासठवां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022
अड़सठवां	सी/(5)/2021-एफईए-II दिनांक 07.04.2022
उनहत्तरवां	सी/(2)/2021-एफईए-I दिनांक 06.12.2022
सत्तरवां	आरजी-13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I दिनांक 23.12.2024

नोट 2:— व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) की स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (भादूविप्रा अधिनियम) के तहत की गई है। भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(2) में प्रावधान है कि:

"भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय-समय पर आदेश द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन दरों को निर्धारित कर सकता है जिन पर भारत के भीतर और बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किसी भी देश में प्रेषित किए जाएंगे।

बशर्ते कि प्राधिकरण समान दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अलग-अलग दरें अधिसूचित कर सकता है और जहां उपरोक्त के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण इसके लिए कारण दर्ज करेगा।"

2. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग में, प्राधिकरण विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है।

पृष्ठभूमि:

3. मार्च 2017 में, भादूविप्रा ने "पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार" पर अपनी सिफारिशों के द्वारा बैंडविड्थ उपलब्धता, विनियामक और वाणिज्यिक बाधाओं, मांग पक्ष के मुद्दों, प्रमाणीकरण और भुगतान प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों का निराकरण किया, जो संभावित रूप से पब्लिक वाई-फाई के उपयोग को प्रभावित करते हैं।

4. दिसंबर 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) के फ्रैमवर्क के तहत पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क[1] के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार करने के डीओटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह फ्रैमवर्क मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी फ्रैमवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (एनडीसीपी, 2018) के 'कनेक्ट इंडिया' मिशन को आगे बढ़ाता है। पीएम-वाणी फ्रैमवर्क में पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है और इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

(i) पब्लिक डेटा ऑफिस(पीडीओ), जो पीएम-वाणी अनुपालित वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स स्थापित, रखरखाव और

[1] https://trai.gov.in/sites/default/files/WiFi_Recommendation_09032017.pdf

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

संचालित करते हैं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और/या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंडविड्थ प्राप्त करके ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं;

(ii) पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए), जो पीडीओ को प्राधिकरण और लेखांकन जैसी एकीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे पीडीओ को अंतिम उपभोक्ता को सेवाएं प्रदान करने में सुविधा मिलती है;

(iii) ऐप प्रदाता, जो उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और इंटरनेट सेवा तक पहुंचाने के लिए पीएम-वाणी अनुपालित वाई-फाई हॉटस्पॉट खोजने और प्रदर्शित करने के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करते हैं और संभावित ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित भी करते हैं;

(iv) केंद्रीय रजिस्ट्री, जो ऐप प्रदाताओं, पीडीओए और पीडीओ का विवरण बनाए रखती है। केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)[2] द्वारा किया जाता है;

(v) वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (वाणी) जो इन वितरित संस्थाओं यानी पीडीओए, पीडीओ, ऐप प्रदाता और केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के बीच अंतर-कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है।

5. नवंबर 2022 में, डीओटी ने भादूविप्रा को अपने संचार में, अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि

"...पीएम-वाणी हॉटस्पॉट का प्रसार काफी सीमित है और लक्ष्यों से काफी कम है।"

डीओटी ने पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के कम प्रसार के लिए निम्नलिखित टिप्पणियां जोड़ीं:

"टीएसपी/आईएसपी द्वारा पीडीओ से बैकहॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी की अत्यधिक उच्च लागत।"

"...वाणिज्यिक समझौते के नाम पर, कई बार टीएसपी/आईएसपी पीडीओ पर रेगुलर एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बजाय महंगी इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) का उपयोग करके पब्लिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को जोड़ने का दबाव डालते हैं।"

6. एनडीसीपी, 2018 के 'कनेक्ट इंडिया' मिशन के तहत, मजबूत डिजिटल कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, 2020 तक 5 मिलियन पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और दिसंबर 20223 तक 10 मिलियन हॉटस्पॉट तैनात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

---

2 https://dot.gov.in/sites/default/files/202- 12 11%20Brief%20PM%20WANI 0 0.pdf?download=1

3 https://dot.gov.in/sites/default/files/EnglishPolicy-NDCP.pdf

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

7. डिजिटल इंडिया 2030, मोबाइल और ब्रॉडबैंड नीति उद्देश्यों के लिए, भारत 6जी विजन 2022 तक 10 मिलियन और 2030 तक 50 मिलियन पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का लक्ष्य निर्धारित करता है।

8. उपरोक्त बातों को प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश का प्रारूप तैयार करते समय विचार में लिया गया था। निम्नलिखित पैराग्राफ प्रारूप टीटीओ (70वां संशोधन) जारी करने के कारणों को विस्तार से बताते हैं।

दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 का प्रारूप

9. प्राधिकरण ने 23 अगस्त, 2024 को दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 का प्रारूप जारी किया, जिसमें प्रस्तावित किया गया: "पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए टैरिफ, रिटेल ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) कनेक्शन के लिए लागू टैरिफ के समान होगा।"

10. टीटीओ (सत्तरवें संशोधन) के प्रारूप में यह उल्लेख किया गया था कि, दिनांक 22 जुलाई 2024 तक, देश में 2,07,642 पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट और 199 पीडीओए और 111 ऐप प्रदाता तैनात थे। पीएम-वाणी हॉटस्पॉट संख्या लक्षित संख्या से बहुत कम है, जैसा कि एनडीसीपी, 2018 दस्तावेज़ और भारत 6जी विज़न दस्तावेज़ में परिकल्पित है। इस प्रकार, उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीएम-वाणी हॉटस्पॉट का प्रभावी प्रसार आवश्यक है।

11. 100 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) टैरिफ बनाम 100 एमबीपीएस एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तुलना से पता चलता है कि इंटरनेट लीज्ड लाइन के लिए वार्षिक टैरिफ रिटेल कनेक्शन से 40 से 80 गुना अधिक हैं। पीडीओ, विशेष रूप से छोटे पैमाने के पीडीओ जैसे छोटे प्रतिष्ठान, स्थानीय दुकानें /खुदरा विक्रेता, चायवाला, किरानावाला, स्टोरकीपर आदि, जिनके पास आमतौर पर कम पूंजी होती है, को न तो आईएलएल कनेक्शन की आवश्यकता होती है और न ही वे उच्च बैकहॉल दरों को वहन कर सकते हैं जो बड़ी वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए लागू हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की यह बढ़ी हुई लागत पीडीओ के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पीएम-वाणी का प्रसार प्रभावित हो सकता है।

12. इसलिए, पीएम-वाणी योजना के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक संभावित लाभों, सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों और छोटे पैमाने के पीडीओ की सीमित राजस्व क्षमता पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने महसूस किया कि पीएम-वाणी

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

योजना के प्रसार को तेज करने के लिए पीडीओ को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की लागत को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है।

टीटीओ 70वें संशोधन के प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियां और प्रतिटिप्पणियां

13. हितधारकों से दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 का प्रारूप पर क्रमश: दिनांक 06 सितंबर, 2024 और 13 सितंबर, 2024 तक टिप्पणियों और प्रतिटिप्पणियों को आमंत्रित किया गया। इसके उत्तर में, 14 हितधारकों से टिप्पणियां और 7 हितधारकों से प्रतिटिप्पणियां प्राप्त हुईं।

- कई हितधारकों ने प्राधिकरण के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह आदेश पीडीओ और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के मामले में पीएम-वाणी योजना को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा था कि यह उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाएगा, प्रमुख बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा और पीडीओ और पीडीओए को सस्ती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।
- प्राधिकरण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ हितधारकों द्वारा यह कहा गया था कि टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने से जनता को सीधे लाभ होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां गुणवत्ता वाले फिक्स्ड ब्रॉडबैंड तक पहुंच या तो सीमित है या अनुपलब्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पब्लिक वाई-फाई को अधिक किफायती बनाने से वंचित समुदायों तक इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने में काफी मदद मिल सकती है, जिससे डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिल सकती है।
- कुछ हितधारकों ने तर्क दिया था कि उपभोक्ता टैरिफ, बी2बी टैरिफ से अलग हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उपभोक्ता टैरिफ फोरबियरेंस के अंतर्गत हैं और इनकी सूचना भादूविप्रा को दी जानी चाहिए और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए, जबकि बी2बी टैरिफ, जिसमें बैकहॉल के लिए टैरिफ भी शामिल होते हैं, संविदाओं के माध्यम से शासित होते हैं और ग्राहकों के लिए विशिष्ट होते हैं और प्रत्येक ग्राहक के लिए समान नहीं होते हैं, न ही उन्हें वेबसाइट पर रिपोर्ट या प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता होती है। इन हितधारकों ने यह भी कहा था कि बैकहॉल सेवा उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि दूरसंचार/इंटरनेट सेवा प्रदाता को बेची जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि पीडीओए-पीडीओ व्यक्तिगत रूप से और /या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाताओं की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें विशेष व्यवस्था के माध्यम से ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है, जिससे वे पंजीकृत लाइसेंस के बिना ऐसी गतिविधियों को करने में सक्षम हो सकें।
- हितधारकों द्वारा यह आगे कहा गया कि किसी भी वाणिज्यिक ग्राहक/बैकहॉल का उपयोग पैटर्न पूरी तरह से अलग होगा जिसमें समग्र खपत, रिटेल ग्राहकों की तुलना में बहुत अधिक होगी। उन्होंने तर्क दिया कि वाणिज्यिक

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

टैरिफ सभी सेक्टरों में रिटेल टैरिफ से अलग होते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण ऊर्जा क्षेत्र में है और दैनिक जीवन के उदाहरण बिजली के टैरिफ, खाना पकाने की गैस सिलेंडर की दरों आदि में देखे जा सकते हैं।

14. यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि, जैसा कि ऊपर पैरा 5 में उल्लिखित है, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि कई बार, वाणिज्यिक समझौते के नाम पर, टेलीकॉम सेवा प्रदाता (टीएसपी)/इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) को मजबूर करते हैं कि वे रेगुलर एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बजाय महंगे आईएलएल का उपयोग करके पब्लिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को कनेक्ट करें।

क्रमवार प्रगति

15. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 16 सितंबर, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के निम्नलिखित खंड में संशोधन किया है:

वर्तमान खंड	**संशोधन/जोड़**
अनुलग्नक बी: खंड (ए) (4) (पीडीओ के कार्यों के अंतर्गत): *"वाणी फ्रेमवर्क के अनुसार, पीडीओ का लाइसेंसप्राप्त टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाणिज्यिक समझौता होगा और पीडीओए के साथ एकीकरण, प्राधिकरण, लेखांकन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए समझौता होगा।"*	*पीएम वाणी दिशानिर्देशों के अनुलग्नक बी: खंड (ए) (4) (पीडीओ के कार्यों के अंतर्गत) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:* *"वाणी फ्रेमवर्क के अनुसार, पीडीओ लाइसेंसप्राप्त टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करेंगे और पीडीओए के साथ एकीकरण, प्राधिकरण, लेखांकन और अन्य संबंधित कार्यों के लिए समझौता करेंगे।"*

16. दूरसंचार विभाग के दिनांक 16 सितंबर, 2024 के आदेश के परिणामस्वरूप, पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ वाणिज्यिक समझौता करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

17. दूरसंचार विभाग द्वारा उपरोक्त संशोधन और हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों को देखते हुए, प्राधिकरण

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Adviser
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

ने पीएम-वाणी योजना के लिए टीटीओ (70वां संशोधन) के प्रारूप में प्रस्तावित ब्रॉडबैंड टैरिफ की समीक्षा और आगे युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। प्राधिकरण का मानना था कि प्रस्तावित टैरिफ फ्रैमवर्क ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), विशेषकर छोटे पीडीओ के हितों की सुरक्षा करते हुए, उनकी स्थिरता और व्यावहारिकता को इस इकोसिस्टम में सुनिश्चित करके पीएम-वाणी के विस्तार को बढ़ावा दे। इसे सेवा प्रदाताओं के वैध हितों की भी रक्षा करनी चाहिए ताकि पीडीओ को बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए उन्हें उचित मुआवजा मिले। जबकि यह महसूस किया गया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा पीडीओ से लिए जाने वाले टैरिफ पर सीमा आवश्यक है, इसे रिटेल एफटीटीएच कनेक्शन के बराबर रखने के प्रस्ताव की समीक्षा की आवश्यकता थी। विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन के टैरिफ से दोगुनी सीमा अधिक उचित मानी गई।

18. तदनुसार, प्राधिकरण ने पीएम-वाणी इकोसिस्टम की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली निष्पक्ष और संतुलित टैरिफ संरचना बनाने के उद्देश्य से दिनांक 15 जनवरी, 2025 को संशोधित टीटीओ (इकहत्तरवांवां संशोधन) का प्रारूप जारी किया।

19. इस बीच, प्राधिकरण ने विशेष टैरिफ वाउचर और कॉम्बो वाउचर की वैधता सीमा बढ़ाने के लिए दिनांक 23 दिसंबर, 2024 को टीटीओ (70वां संशोधन) जारी किया था। अतः पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ (एफटीटीएच) निर्धारित करने हेतु परामर्श के लिए टीटीओ (70वां संशोधन) के प्रारूप के संशोधित संस्करण को दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 के प्रारूप के रूप में जारी किया गया।

टीटीओ (इकहत्तरवांसंशोधन), 2025 का प्रारूप

20. प्राधिकरण ने दिनांक 15 जनवरी, 2025 को दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवांसंशोधन) आदेश, 2025 का प्रारूप जारी किया। इस प्रारूप में पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ का निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित किया गया:

"पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ (एफटीटीएच) संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली तदनुरूपी क्षमता के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच सेवाओं पर लागू टैरिफ के दोगुने से अधिक नहीं होगा।"

टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

21. हितधारकों को टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप पर अपनी टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः दिनांक 31 जनवरी, 2025 और 07 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके जवाब में, प्राधिकरण को चौदह हितधारकों से टिप्पणियां और चार हितधारकों से प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं। परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, हितधारकों के विचार जानने के लिए दिनांक 08 अप्रैल 2025 को टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप पर ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) भी आयोजित की गई।

22. संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) प्रस्तावित सीमा के साथ टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप के समर्थन में; (ii) प्रस्तावित सीमा में संशोधन के साथ टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप के समर्थन में; और (iii) टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप के पक्ष में नहीं। हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जांच आगे के पैराग्राफों में की गई है।

टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप के समर्थक हितधारक

23. कुछ हितधारकों ने टैरिफ आदेश के प्रारूप का यह कहते हुए समर्थन किया है कि पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) की संख्या बढ़ने से और इंटरनेट के उपयोग बढ़ने से पीएम-वाणी योजना को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। हितधारकों ने पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कीमत को नियंत्रित करने के कदम की सराहना की है, जिसमें कि टैरिफ, एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान रिटेल ग्राहकों के लिए लागू टैरिफ दोगुने से अधिक नहीं होगा, और इसे व्यापक स्तर पर पीएम-वाणी योजना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। हितधारकों ने यह भी उल्लेख किया कि प्रस्तावित संशोधन पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से किफायती ब्रॉडबैंड एक्सेस को सक्षम बनाने की सही दिशा में एक कदम है और उपभोक्ता संरक्षण, वहन करने की क्षमता और न्यायसंगत सेवा वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के निवारण के लिए भादूविप्रा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रस्तावित सीमा में संशोधन के साथ टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप के समर्थक हितधारक

24. कुछ हितधारकों ने टैरिफ आदेश के प्रारूप का समर्थन किया लेकिन प्रस्तावित मूल्य सीमा में संशोधन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पीएम-वाणी के तहत डेटा उपयोग के पैटर्न को देखते हुए और अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से, पीएम-वाणी के तहत टैरिफ मानक एफटीटीएच प्लान के 1.75 गुना से अधिक नहीं होना

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, टैरिफ मानक एफटीटीएच प्लान के बराबर ही रहना चाहिए।

25. अन्य लोगों ने एफटीटीएच रिटेल मूल्य के दोगुने की प्रस्तावित सीमा के स्थान पर एक लचीला और प्रगतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल प्रस्तावित किया, इस दृष्टिकोण के साथ कि इस मॉडल में यह सुनिश्चित करने के लिए रिटेल एफटीटीएच मूल्य निर्धारण के साथ समानता शामिल होगी कि पीडीओ को रेगुलर उपभोक्ताओं के समान दरों पर बैंडविड्थ प्राप्त हो। यह आईएसपी को प्रोत्साहित करने के लिए मात्रा-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा कि वे पीडीओ संचालन के विस्तार के साथ थोक छूट प्रदान करें, जिससे यह सुनिश्चित हो कि हर चरण में कीमत, प्रचलित रिटेल मूल्य के समान या उससे कम रहे।

26. एक हितधारक ने जोर दिया कि पीएम-वाणी के प्रभावी विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए पीडीओ टैरिफ को रिटेल एफटीटीएच दरों के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि (प्रारूप) सत्तरवें संशोधन में प्रस्तावित था, यह कहते हुए कि चूंकि पीडीओ को बैंडविड्थ प्रदान करने में कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती, इसलिए एफटीटीएच रिटेल दरों को दोगुना करने का प्रस्ताव अनुचित था। इस हितधारक ने आगे कहा कि रिटेल टैरिफ में 3.5 टीबी की फेयर यूसेज पॉलिसी (एफयूपी) सेवा प्रदाताओं पर महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत लगाए बिना उच्च डेटा उपलब्धता के आश्वासन के रूप में काम करती है। यह भी बताया गया कि डीओटी द्वारा जारी पीडीओ बुकलेट में पीडीओ के लिए एक विशिष्ट वार्षिक ब्रॉडबैंड लागत ₹6000/- का उल्लेख है, जो मौजूदा रिटेल टैरिफ के अनुरूप है।

27. इसके अतिरिक्त, एक अन्य हितधारक ने जोर दिया कि उच्च टैरिफ छोटे उद्यमियों को पीएम-वाणी इकोसिस्टम में भाग लेने से हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे ब्रॉडबैंड पहुंच के विस्तार का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा। हितधारक ने यह भी कहा कि पीएम-वाणी मॉडल अधिक व्यावसायिक प्रतिभागियों को लाएगा और नए व्यावसायिक अवसर पैदा करेगा, जिससे बाजार कम होने के बजाय समग्र बाजार का विस्तार होगा। हितधारक ने आगे जोर दिया कि किफायती पब्लिक वाई-फाई का विस्तार पहले से बिना जुड़े हुए क्षेत्रों में मांग पैदा करके एफटीटीएच की वृद्धि का पूरक होगा। पीएम-वाणी का उद्देश्य एफटीटीएच और मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं का स्थान लेना नहीं है बल्कि उनके साथ सह-अस्तित्व में रहना है।

टीटीओ (इकहत्तरवां संशोधन) के प्रारूप के विरोध में हितधारक

28. कुछ हितधारकों ने टैरिफ आदेश के प्रारूप का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 100 एक्सेस पॉइंट्स को जोड़ने की

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

क्षमता वाले पीडीओ, मॉल जैसे घनी आबादी वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में कवरेज का महत्वपूर्ण विस्तार करेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधन असीमित डेटा लाभों को हटाने, मासिक किराया टैरिफ बढ़ाने और उपयोग प्रतिबंध लगाने के कारण रिटेल टैरिफ की मौजूदा संरचना को संभावित रूप से बाधित कर सकता है—जो सभी, उपभोक्ता-विरोधी प्रकृति के होंगे। इसके अतिरिक्त, हितधारकों ने चिंता व्यक्त की कि इस संशोधन से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और सरकारी खजाने को राजस्व हानि हो सकती है, विशेषकर इसलिए कि पीडीओ को लाइसेंस फीस का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

29. कुछ हितधारकों ने 4जी और 5जी सेवाओं की व्यापक उपलब्धता और कम लागत वाले मोबाइल डेटा की वैश्विक प्रवृत्ति को देखते हुए वर्तमान परिदृश्य में पीएम-वाणी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किफायती मोबाइल डेटा, निरंतर सुरक्षा चिंताओं, और पब्लिक वाई-फाई की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के संयोजन ने पीएम-वाणी की आवश्यकता को कम कर दिया है। इन हितधारकों ने जोर दिया कि टीएसपी द्वारा दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण में किए गए महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए, विनियामक हस्तक्षेप का उपयोग एक व्यावसायिक मॉडल को दूसरे की तुलना में पसंद करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

30. कुछ हितधारकों ने यह भी उल्लेख किया कि मोबाइल हैंडसेट देश में ब्रॉडबैंड एक्सेस का प्राथमिक साधन बना हुआ है, जिससे पब्लिक वाई-फाई की प्रासंगिकता कम हो जाती है। उन्होंने यह भी नोट किया कि इंटरनेट सेवाओं की पुनर्विक्री एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से नहीं बल्कि इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) के माध्यम से की जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि मूल्य सीमा लगाना प्राकृतिक बाजार संतुलन को बिगाड़ देगा। यह दावा किया गया कि टैरिफ सीमा का कोई भी आरोपण पीडीओ को अनुचित लाभ प्रदान करेगा, जो अंततः ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम के भीतर समान अवसरों के माहौल को बाधित करेगा।

31. उन्होंने तर्क दिया कि बी2बी टैरिफ को लचीला रखा जाना चाहिए, जो विशिष्ट उपयोग पैटर्न और संविदात्मक समझौते के आधार पर मूल्य निर्धारण की सौदेबाजी की अनुमति देता है। पीडीओए/पीडीओ और टीएसपी के बीच टैरिफ सहित वाणिज्यिक संविदात्मक व्यवस्थाओं को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए।

हितधारकों की टिप्पणियों की जांच

32. प्राधिकरण ने सभी हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की सावधानीपूर्वक जांच की है। इसने हितधारकों द्वारा

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान दिया है और पीएम-वाणी इकोसिस्टम के लिए टैरिफ को इस तरह नियंत्रित करना चाहता है कि यह पीएम-वाणी की व्यवस्थित वृद्धि को सुनिश्चित करते हुए इन चिंताओं का संतुलित तरीके से निराकरण करे।

33. दूरसंचार विभाग के अनुसार, पीएम-वाणी के धीमे विस्तार का एक मुख्य कारण टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा पीडीओ से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लिया जाने वाला अत्यधिक उच्च टैरिफ है। जबकि पब्लिक वाई-फाई का विस्तार पीएम-वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य है, इसका लक्ष्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उन्हें पब्लिक वाई-फाई के विस्तार में शामिल करके आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना भी है। ऐसी छोटी इकाइयों की सीमित राजस्व क्षमता को देखते हुए, उच्च कनेक्टिविटी लागत, उनके लिए इस काम में प्रवेश करने में आने वाली बाधा बन सकती है, जिससे उनकी भागीदारी हतोत्साहित हो सकती है और योजना के विस्तार में बाधा आ सकती है।

34. इसके अलावा, प्राधिकरण दूरसंचार विभाग के दिनांक 16 सितंबर, 2024 के आदेश पर भी ध्यान देता है जिसके द्वारा "पीडीओ का लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईएसपी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाणिज्यिक समझौता होगा" वाक्य को "पीडीओ लाइसेंस प्राप्त टीएसपी या आईएसपी से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करेंगे" से बदल दिया गया है, जिससे पीएम वाणी फ्रेमवर्क से वाणिज्यिक समझौते की स्पष्ट आवश्यकता हटा दी गई है।

35. प्राधिकरण नोट करता है कि कुछ हितधारकों ने कहा है कि पीडीओ और टीएसपी/आईएसपी के बीच टैरिफ सहित वाणिज्यिक संविदात्मक व्यवस्थाओं को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि पीएम-वाणी हॉटस्पॉट्स का विस्तार काफी सीमित है और लक्ष्यों से काफी कम है। प्राधिकरण का मत है कि टैरिफ को बाजार की शक्तियों पर छोड़ने की मौजूदा व्यवस्था पीएम-वाणी योजना की बाजार विफलता का एक प्रमुख कारण हो सकती है।

36. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकरण का विचारित मत है कि पीएम-वाणी योजना के तहत एक ऐसा टैरिफ फ्रेमवर्क स्थापित करना आवश्यक है जो छोटे पैमाने के पीडीओ—जैसे पान की दुकानें, किराना स्टोर आदि के हितों की रक्षा करे और पीएम वाणी योजना के व्यापक विस्तार को सुविधाजनक बनाए। तदनुसार, प्राधिकरण पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के लिए

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

टैरिफ आदेश के रूप में टैरिफ नियंत्रण शुरू करना आवश्यक समझता है।

37. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि कुछ हितधारकों ने टैरिफ हस्तक्षेप के कारण प्रतिस्पर्धी बाजार संतुलन में संभावित विकृतियों की चिंता जताई है। हालांकि, इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि पीएम-वाणी केंद्रीय रजिस्ट्री के अनुसार, लगभग 3 लाख पंजीकृत पीडीओ हैं, जो कुल एफटीटीएच कनेक्शन (लगभग 4 करोड़)[4] का केवल न्यूनतम प्रतिशत (0.7%) है। इस अपेक्षाकृत कम संख्या को देखते हुए, समग्र ब्रॉडबैंड बाजार पर पीडीओ का प्रभाव नगण्य दिखाई देता है।

38. हितधारकों ने आगे कहा है कि टैरिफ हस्तक्षेप, रिटेल टैरिफ को विकृत करके, उपभोक्ताओं के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस संबंध में, यह जोर देना उचित है कि सरकार और विभिन्न अध्ययनों ने पीएम-वाणी योजना के आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक लाभों को निरंतर उजागर किया है। इन पहलुओं को आगे के पैराग्राफों में विस्तार से बताया गया है।

39. दिसंबर 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) के फ्रैमवर्क के तहत पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के विस्तार के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पीएम-वाणी योजना के विभिन्न आर्थिक, वित्तीय और अन्य लाभों पर प्रकाश डाला गया, जैसे:

(i) यह अपेक्षा की जाती है कि पब्लिक वाई-फाई ब्रॉडबैंड से, ब्रॉडबैंड के लिए उपयोगकर्ता के अनुभव और सेवा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा;

(ii) यह सेवा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होगी जहां भारतनेट के तहत पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स भी बनाए जा रहे हैं;

(iii) पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स के विस्तार से छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए रोजगार में वृद्धि होगी और उन्हें आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा;

(iv) दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता भी पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) को बैंडविड्थ की बिक्री के कारण लाभान्वित होंगे;

(v) पीएम-वाणी में उपयोग के लिए मेड इन इंडिया वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई

---

[4] टीएसपी द्वारा भादूविप्रा को सूचित आंकड़ों के अनुसार

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

है।

40. इसके अलावा एक शोध पत्र शीर्षक "पीएम-वाणी (प्राइम मिनिस्टर्स वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) – टेक्नॉलॉजी एण्ड बिजनेस केस फॉर वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर)" अनकनेक्टेड आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के एक किफायती और तीव्र साधन के रूप में पीएम-वाणी की भूमिका को उजागर करता है। इसमें कहा गया है कि:

"पीएम-वाणी सरकार की डिजिटल महत्वाकांक्षा को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकता है—यूबीक्यूटस कनेक्टिविटी, डिजिटल इन्क्लूजन और एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा, वाई-फाई से उत्पादकता में आया सुधार अर्थव्यवस्था के लिए लाभों के रूप में साकार हो सकता है।

पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स का विस्तार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां यह छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को एक अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करके उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है।

फिर इससे, डेटा सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है। दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता भी पब्लिक डेटा ऑफिसों (पीडीओ) को बढ़ी हुई बैंडविड्थ बिक्री और बढ़ती उपभोक्ता मांग के माध्यम से लाभान्वित होंगे।

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली डेटा सेवाओं के विकल्प के रूप में काम करने के बजाय, पीएम-वाणी योजना मौजूदा पेशकशों का ऐसा पूरक बनने के लिए मौजूद है, जो विस्तृत डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है।"

41. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण का मानना है कि पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के प्रसार से उपभोक्ताओं के लिए डेटा सेवाओं तक पहुँचने के विकल्प बढ़ेंगे, जिससे संभावित रूप से इंटरनेट तक समग्र पहुँच में सुधार होगा और इस प्रकार से उपभोक्ताओं का कल्याण होगा। प्राधिकरण का यह भी मानना है कि एक टैरिफ फ्रेमवर्क, जोकि पीडीओ, विशेष रूप से छोटी संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं दोनों के हितों को संतुलित करता है, इंटरनेट सेवा बाजार में दक्षता को बढ़ावा देगा, न कि इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

पीएम-वाणी के लिए टैरिफ फ्रेमवर्क

42. प्राधिकरण का उद्देश्य एक ऐसा टैरिफ फ्रेमवर्क विकसित करना है जो पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), विशेष रूप से छोटे पीडीओ के लिए किफायती ब्रॉडबैंड एक्सेस सुनिश्चित करते हुए सभी हितधारकों के हितों को उचित रूप से संतुलित करे, साथ ही सेवा प्रदाताओं के उचित वाणिज्यिक हितों की रक्षा भी करे। प्राधिकरण ने पीएम-वाणी इकोसिस्टम के लिए टैरिफ फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु मौजूदा बाजार परिदृश्य, पीएम-वाणी सेवाओं को अपनाने के वर्तमान स्तरों के साथ-साथ

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

संभावित भविष्य के विकास को ध्यान में रखने का प्रयास किया है। पीएम-वाणी पहल के व्यवस्थित और सतत विकास को सुविधाजनक बनाने और पीडीओ को बैंडविड्थ की आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाताओं के लिए उचित प्रोत्साहन देते हुए टैरिफ फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया है ताकि सेवा प्रदाताओं और पीडीओ के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। इस दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले विचारों पर चर्चा बाद में आने वाले पैराग्राफों में की गई है।

43. पीएम-वाणी के लिए टैरिफ फ्रेमवर्क का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकरण ने वर्तमान में पीडीओ को दिए जाने वाले टैरिफ, पीएम-वाणी प्लान की क्षमताओं और रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैरिफ से उनकी तुलना का विश्लेषण किया है। प्राधिकरण ने नोट किया कि एक सेवा प्रदाता पहले से ही विशेष रूप से पीएम-वाणी के लिए ब्रॉडबैंड प्लान पेश कर रहा है। उनके 50 एमबीपीएस और 100 एमबीपीएस रिटेल एफटीटीएच प्लान और संबंधित पीएम-वाणी प्लान के बीच तुलना से पता चलता है कि पीएम-वाणी टैरिफ रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैरिफ से लगभग दोगुना है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

प्लान विवरण	**मूल्य (रु.)**	**अनुपात**
100 एमबीपीएस प्लान		
पीएम-वाणी प्लान	1532.82	
रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच प्लान	706.82	2.17
50 एमबीपीएस प्लान		
पीएम-वाणी प्लान	1178.82	
रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच प्लान	588.82	2.00

44. इसके अलावा, दूरसंचार विभाग के दिनांक 16.09.2024 के आदेश संख्या डीएस-16/13/2017-डीएस-III(वॉल्यूम-II) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि:

6. एक्सेस पॉइंट में, एसएसआईडी को कॉन्फ़िगर करना संभव है, एक निजी उपयोग के लिए और दूसरा सार्वजनिक उपयोग के लिए। पब्लिक डेटा ऑफिस, घरों या उद्यमों में काम कर रहे मौजूदा एक्सेस पॉइंट का उपयोग पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए दूसरे एसएसआईडी को कॉन्फ़िगर करके इसे पंजीकृत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के कैप्टिव पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करके प्रयोग कर सकते हैं, जो इंटरनैट सर्विस प्रोवाईडर/ दूरसंचार सेवा प्रदाता को पूर्व सूचना के अधीन है।"

45. उपरोक्त संदर्भ में, सबसे बड़े पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) में से एक से ली गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि इस पीडीओए द्वारा एकत्रित अधिकांश पब्लिक डेटा ऑफिस ने पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi

तहत व्यक्तिगत उपयोग और बाहरी उपयोग दोनों के लिए एक ही ब्रॉडबैंड एक्सेस पॉइंट लगाए हैं। इस दोहरे उपयोग को ध्यान में रखते हुए, अर्थात व्यक्तिगत उपभोग के साथ-साथ पीएम-वाणी सेवाओं के प्रावधान के लिए, यह उचित माना जाता है कि पब्लिक डेटा ऑफिस द्वारा प्राप्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर लागू टैरिफ एक मानक रिटेल ब्रॉडबैंड ग्राहक के लिए लागू टैरिफ से अधिक हो सकता है। इस दृष्टिकोण से उम्मीद है कि सेवा प्रदाताओं के उचित वाणिज्यिक हितों की भी रक्षा होगी ।

46. इसके अलावा, उसी पीडीओए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इसके द्वारा शामिल किए गए बड़ी संख्या में पब्लिक डेटा ऑफिस, कम आय वाले पड़ोस में स्थित छोटे, आवासीय सेटअप हैं जो आम जनता को, विशेष रूप से पिरामिड के निचले स्तर पर ग्राहकों को किफायती और सुलभ ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करते हैं। इन पब्लिक डेटा ऑफिस में आम तौर पर नियमित रिटेल कनेक्शन की तुलना में पीएम-वाणी प्लान के तहत डेटा खपत सीमित होती है, अर्थात पीएम-वाणी प्लान के तहत डेटा खपत आम तौर पर इस कनेक्शन से व्यक्तिगत उपयोग के लिए खपत किए गए डेटा से कम होती है। इस संबंध में प्राधिकरण छोटे पीडीओ की लघु-स्तरीय प्रकृति और सीमित राजस्व क्षमता को पहचानता है और यह मानता है कि ऐसी छोटी संस्थाओं के लिए उच्च ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लागत इनके प्रवेश में बाधक हो सकती है और पीएम-वाणी प्लान के प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

47. इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है कि पान की दुकानों, किराना दुकानों आदि जैसे छोटे पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच व्यवहार्य और सस्ती होगी, साथ ही सेवा प्रदाताओं के वैध वाणिज्यिक हितों की रक्षा भी होगी।

48. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्राधिकरण रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैरिफ के दोगुने की सीमा निर्धारित कर रहा है, सेवा प्रदाता पीडीओ को कम टैरिफ पर एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन की पेशकश कर सकते हैं - जैसे रिटेल दरों के बराबर, या रिटेल से 1.5 गुना, या रिटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैरिफ के दुगुने तक कोई भी स्तर। कुछ हितधारकों ने कहा है कि, चूंकि वर्तमान डेटा उपयोग, ग्राहक आधार और पीएम-वाणी सेवा के प्रावधान के माध्यम से पीडीओ का राजस्व सीमित है, इसलिए निर्धारित सीमा को रिटेल टैरिफ के दुगुने से कम निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकरण का मानना है कि रिटेल टैरिफ से दोगुने तक की सीमा डेटा उपयोग में संभावित भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखेगी।

49. प्राधिकरण इस तथ्य से भी अवगत है कि पीएम-वाणी सेवाओं को अपनाने में हो रही वृद्धि के कारण पब्लिक डेटा

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

ऑफिस द्वारा डेटा उपयोग अंततः रैगुलर रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के दुगुने से अधिक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, निर्धारित टैरिफ सीमा के मामले में फिर से यह पुनः जांच करना उचित हो सकता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। इसका निदान करने के लिए, प्राधिकरण समय-समय पर सक्रिय पब्लिक डेटा ऑफिस की संख्या और उनके संबंधित डेटा उपयोग पैटर्न की समीक्षा करेगा।

50. टैरिफ फ्रेमवर्क का एक प्राथमिक उद्देश्य है - छोटे पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) जैसे स्थानीय दुकान, पानवाले, किराना स्टोर और अन्य छोटे प्रतिष्ठानों के हितों की रक्षा करना जो आमतौर पर छोटी सी पूंजी के साथ काम करते हैं। सभी पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड टैरिफ तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे पीएम-वाणी प्लान के लिए एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान शुरू करेंगें। इस तरह की आवश्यकता छोटे पैमाने के पीडीओ के लिए सामर्थ्य और पहुँच को बढ़ावा देगी, जिससे आम जनता, खासकर वंचितों तक पीएम-वाणी इकोसिस्टम के व्यापक विस्तार की सुविधा मिलेगी। पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का प्रसार रोजगार पैदा करने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

51. इसके अलावा, प्रत्येक सेवा प्रदाता को न्यूनतम स्वीकार्य स्तर की सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पीएम-वाणी प्लान के तहत मांग में अनुमानित भविष्यकालीन वृद्धि को ध्यान में रखने और पीएम-वाणी इकोसिस्टम के सतत प्रसार को सक्षम करने के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ पीएम-वाणी विशिष्ट ब्रॉडबैंड एफटीटीएच प्लान पेश करने की आवश्यकता होगी। इसका विवरण अगले पैराग्राफ में दिया गया है।

52. यह देखते हुए कि छोटे पीडीओ की पूंजी आमतौर पर सीमित होती है, यह दर्शाता है कि इन स्थानों पर उपयोगकर्ता मुख्य रूप से शिक्षा, मनोरंजन और डिजिटल वित्तीय गतिविधियों जैसी बुनियादी डिजिटल गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहता है।

53. यह उल्लेख करना भी उचित रहेगा कि देश के सबसे बड़े पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स में से एक ने रिपोर्ट किया है कि उसके संबद्ध पब्लिक डेटा ऑफिसों में से अधिकांश छोटे पैमाने की संस्थाएं हैं जो वर्तमान में 100 एमबीपीएस तक की बैंडविड्थ (क्षमता) वाले ब्रॉडबैंड प्लान पर काम करती हैं। इसके अलावा, इन पब्लिक डेटा ऑफिसों को पीएम-वाणी-विशिष्ट ब्रॉडबैंड प्लान की पेशकश करने वाले सेवा प्रदाता वर्तमान में दो बैंडविड्थ (क्षमता) यानी 50 एमबीपीएस और 100 एमबीपीएस के लिए उपलब्ध हैं। जबकि अधिकांश पब्लिक डेटा ऑफिसों द्वारा वर्तमान डाटा उपयोग 100 एमबीपीएस

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

रेंज के भीतर रहता है, प्राधिकरण का मानना है कि छोटे पैमाने के पब्लिक डेटा ऑफिसों के विकास और पीएम-वाणी सेवा के समग्र विस्तार को सपोर्ट करने के लिए, 200 एमबीपीएस तक के बैंडविड्थ के साथ ब्रॉडबैंड एफटीटीएच प्लान का प्रावधान भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करेगा।

54. उपरोक्त चर्चाओं के अनुरूप, प्राधिकरण का यह मानना है कि वर्तमान में 200 एमबीपीएस की बैंडविड्थ (क्षमता) छोटे पैमाने के पीडीओ के हितों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता पीएम-वाणी प्लान के तहत पीडीओ के लिए सभी बैंडविड्थ (क्षमता) के लिए कम से कम 200 एमबीपीएस तक की एफटीटीएच ब्रॉडबैंड टैरिफ प्लान पेश करेगा। 200 एमबीपीएस से अधिक बैंडविड्थ (क्षमता) के लिए पीडीओ को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए टैरिफ में रियायत दी जा सकती है, क्योंकि इस स्तर पर 200 एमबीपीएस की बैंडविड्थ से ज्यादा टैरिफ हस्तक्षेप जरुरी नहीं माना जाता है।

55. प्राधिकरण एक निष्पक्ष और संतुलित फ्रेमवर्क स्थापित करने का इरादा रखता है जो छोटे पीडीओ के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के हितों का समर्थन करता है, जिससे पीएम-वाणी इकोसिस्टम के सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं पर विचार करते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि रिटेल टैरिफ की दुगुनी सीमा उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में फायदेमंद साबित हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि पीएम-वाणी प्लान के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैरिफ (रिटेल) किसी भी मामले में रैगुलर रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए लागू मौजूदा टैरिफ के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

56. इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि इस टैरिफ़ ऑर्डर का दायरा विशेष रूप से 200 एमबीपीएस तक की बैंडविड्थ के लिए पीएम-वाणी प्लान के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस को दिए जाने वाले रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड टैरिफ़ पर ही लागू होगा । यह पीएम-वाणी प्लान के तहत पीडीओ द्वारा मांगी गई किसी अन्य प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी के टैरिफ़ तक नहीं ले जाया जा सकता है।

57. संक्षेप में, संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु, प्राधिकरण पीएम-वाणी प्लान के लिए निम्नलिखित टैरिफ फ्रेमवर्क निर्धारित करता है:

"पीएम-वाणी योजना के तहत रिटेल फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सेवा

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

प्रदाता पीडीओ को 200 एमबीपीएस तक के अपने सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान प्रदान करेगा, जिसका टैरिफ, बैंडविड्थ (क्षमता) के अनुरूप एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान के लिए रिटेल ग्राहकों के लिए लागू टैरिफ के दुगुने से अधिक नहीं होगा।"

58. इस मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को छोटे पैमाने के पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) की सामर्थ्य सुनिश्चित करके सभी हितधारकों के हितों को उचित रूप से संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही सेवा प्रदाताओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया है। पीएम-वाणी प्लान के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप, टैरिफ फ्रेमवर्क मौजूदा बाजार परिदृश्य, पीएम-वाणी सेवाओं को अपनाने के वर्तमान स्तरों के साथ-साथ संभावित भविष्य के विकास को भी ध्यान में रखता है। इन विचारों का विशेष रुप से उल्लेख करते हुए, फ्रेमवर्क का उद्देश्य पीएम-वाणी पहल के तहत पब्लिक वाई-फाई इकोसिस्टम के व्यवस्थित, टिकाऊ और समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाना है।

59. प्राधिकरण, योजना के प्रसार और उपयोग की समीक्षा करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत पीडीओ के लिए शुल्क की समीक्षा कर सकता है।

अस्वीकरण : यह दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025 का हिन्दी अनुवाद है । किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार टैरिफ (इकहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2025 मान्य होगा ।

मनोज धर्मराजन/MANOJ DHARMARAJAN
प्रधान सलाहकार/Principal Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29